प्रार्थी 30/ अधिवक्ता उपस्थित है।
सम्मन प्रोसेस में होने से प्राप्त नहीं हुये।
सम्मन पेश होने पर पुन जारी होकर प्रार्थना पत्र
वास्ते देखने तामील दिनांक 8/4/21 को पेश
हो।

8/4/21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
है/पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश में~~ [illegible]
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त
होने/~~बार एसोसिएशन की प्रार्थना से~~
पत्रावली वास्ते तामील
दिनांक 20/5/21 को पेश हो।

20/5/21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
है/पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश में~~
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त कोरोना लॉकडाउन
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से
पत्रावली वास्ते तामील
दिनांक 17/6/21 को पेश हो।

17/6/21 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
है/पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश में~~
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त कोरोना वायरस
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थना से
पत्रावली वास्ते तामील
दिनांक 22/7/21 को पेश हो।

22/7/21 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवम
विपक्षी उपस्थित है। विपक्षी की ओर से
निवेदन किया कि नवीन [illegible]
1405, 1408 व 14[illegible] [illegible]
पराजहद के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.06 11:03:08 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म | हुक्म की तामील में जारी हुए

प्र.सं. 95/2020 (2020/00159)

चरागाह ~~के~~ से बेदखल करने का
कार्य विपक्षी का नहीं होकर चरागाह
ग्राम पंचायत रामपुर के स्वामित्व व
आधिपत्य की है। प्रार्थी को चरागाह
के प्रकरण में पंचायत एक्ट के
प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत पूर्व में
नोटिस देकर उनको भी पक्षकार
बनाना चाहिये जो नहीं बनाया गया
प्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया
जिसे खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी
अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन
किया कि भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा
साबिक के मुकाबले में नवीन रेकार्ड
में त्रुटी की गयी है। प्रार्थी साबिक
ख.नं. के अनुसार ही काबिज है।
जब तक मूल वाद निस्तारण नहीं
हो तब तक प्रार्थी को बेदखल
नहीं किया जावे। दोनो पक्षों की
बहस उपरान्त पत्रावली में उपलब्ध
रेकार्ड पर मनन किया प्रथम दृष्टया
का पक्ष प्रमाणित है। सुविधा सन्तुलन
भी प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति
में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना
पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः आदेश दिया जाता है कि
तहसीलदार रामपुर मूल वाद के निस्तारण
तक ग्राम केरुनिया के खसरा नं. 1405,
1408, 1448 के रेकार्ड एवं मौके की
यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
पालना हेतु तहसीलदार रामपुर भिजवाई
जावे।

22/07/2021

अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.08.06 11:03:08 IST
Reason: SelfAttested